

26/11/2021


प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण
नोटिस तामिल शुल्क प्राप्त जिते बाकी
वकील विप्राथीगण/ पत्रावली पत्रावली
पत्रावली जिते के संगे रिपोर्ट-2021 के
के व्याप्य होने के सिवाय इत्तव होउ (समाप्त)
दिनांक 19/04/2022 को पेदा हो/ग

न्यायालय
क्रमांक : वाद / 2022 / 340
प्राथी
नरस

19/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्राथीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की/नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।


रिपोर्ट (SOG) बावजुद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 349
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 19/4/22
विप्रार्थीगण

1. नरसाराम पुत्र लाखाराम,
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. देराजराम पुत्र कोशलाराम वगैरा 03,
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 137 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - जोगासर कुआं, पटवार हल्का - छीतर का पार, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 706/85 रकबा क्रमशः 2.0387 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
(जयदीप सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 19/4/22

क्रमांक : वाद / 2022 / 350 to 354
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नरसाराम पुत्र लाखाराम,
4. विप्रार्थी श्री देराजराम पुत्र कोशलाराम वगैरा 03,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु